7/10/23

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 140/2023 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/144

दायर दिनांक :– 06.07.2023 निर्णय दिनांक :– 17.06.2025

प्रार्थीगण

01. हनुमानराम पुत्र भगवानाराम
02. पपुराम पुत्र भगवानाराम
03. मेनका पुत्री भगवानाराम
04. शांती पत्नी भगवानाराम
05. सोहनराम पुत्र भगवानाराम
06. हजारीराम पुत्र सगताराम
जाति विश्नोई निवासी नेवा
तहसील बाप जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

01. राणाराम पुत्र रामलाल
02. सुगनाराम पुत्र हरूराम
03. ओमप्रकाश पुत्र सुखराम
04. खेताराम पुत्र लुम्बाराम
05. फरसाराम पुत्र सुखराम
06. सुखराम पुत्र खेताराम
07. ओमप्रकाश पुत्र सहीराम
08. किसनाराम पुत्र प्रतापाराम
09. धीमाराम पुत्र प्रतापाराम
10. बीरबलराम पुत्र प्रतापाराम
11. भंवरूराम पुत्र प्रतापाराम
12. मांगीलाल पुत्र अमराराम
13. सन्तोषराम पुत्र सहीराम
14. हेतराम पुत्र सहीराम
जाति विश्नोई निवासी नेवा
तहसील बाप जिला जोधपुर
15. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक
शाखा बाप
16. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी.
शाखा बाप
17. श्रीमान तहसीलदार, बाप

सहायक कलेक्टर जिला फलोदी (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी, प्रकाश विश्नोई
अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री सुभाष विश्नोई अप्रार्थीगण सं. 1, 2 व 11
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि ग्राम हनुमाननगर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 211/1 रकबा 2.5495 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 212 रकबा 1.6673 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जमाबंदी

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

व भू–नक्शा की वर्तमान प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। उक्त खसरान के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार बाप द्वारा दिनांक 16.06.2023 को जारी आदेश क्रमांक/भू0अ0/158 की पालना में दिनांक 19.06.2023 को हल्का पटवारी द्वारा मौका पर पंहुच कर पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर प्रार्थीगण खातेदारान के पड़ौसी खातेदारान व मौतबीरान के समक्ष सीमाज्ञान करवाया गया। फर्द मौका की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। दिनांक 19.06.2023 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण के उक्त खसरान की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हों (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरान की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां रोपकर बाड़, तारबंदी इत्यादि करना शुरू करने पर पड़ौसी खातेदारान व्यवधान पैदा कर प्रार्थीगण को तारबंदी नहीं करने दे रहे है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि की बाड़, तारबंदी नहीं हो पाने से प्रार्थीगण अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टियां रोपकर तारबंदी, जाली नही कर पाने से प्रार्थीगण को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 19.06.2023 के माफिक सीमा पर पत्थरगढ़ी करवाने के कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 17 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 11 की और से अधिवक्ता श्री सुभाष विश्नोई ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। शेष अप्रार्थीगण की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 11 की तरफ से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने इनका जवाब बन्द किया जाता है। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम हनुमाननगर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी में खेत खसरा नम्बर 211/1 रकबा 2.5495 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 212 रकबा 1.6673 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि पैमाईश फर्द दिनांक 19.06.2023 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द, पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया गया। ग्राम हनुमाननगर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी में खेत खसरा नम्बर 211/1 रकबा 2.5495

सहायक कलेक्टर,
बाप (फलोदी)

हैक्टेयर व खसरा नम्बर 212 रकबा 1.6673 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए उपरोक्त वर्णित खसरान् की पैमाईश फर्द दिनांक 19.06.2023 अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम हनुमाननगर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी में खेत खसरा नम्बर 211/1 रकबा 2.5495 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 212 रकबा 1.6673 हैक्टेयर भूमि की सभी खातेदारों की उपस्थिति में पैमाईश फर्द दिनांक 19.06.2023 के अनुसार पत्थर गड्ढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गडढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)